बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश संख्या : 15/खा०–15–03/2014–.................. पटना/दिनांक –...................

आदेश

विभागीय आदेश ज्ञापांक – 752(15), दिनांक – 26.06.2025 द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला–2025 के अंतर्गत कॉंवरिया पथ पर संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की जॉच एव नियमित निगरानी हेतु सहायक अभिहित अधिकारियों –सह– खाद्य संरक्षा अधिकारियों को श्रावणी मेला में विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की गयी है।

2. असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय पत्रांक – 3254, दिनांक – 28.06.2025 के आलोक में श्री नारायण राम, सहायक अभिहित अधिकारी –सह– प्रभारी अभिहित अधिकारी, सारण, छपरा को निदेशित किया जाता है कि वे श्रावणी मेला–2025 के अवसर पर हरिहर क्षेत्र, सोनुपर मंदिर के आस–पास संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच नियमानुसार करते हुए, कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला प्रशासन, सारण/ असैनिक शल्य चिकित्सा –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री नारायण राम, सहायक अभिहित अधिकारी –सह– खाद्य संरक्षा अधिकारी, सारण, छपरा की प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उनके स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सहायक अभिहित अधिकारी –सह– खाद्य संरक्षा अधिकारी, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर को बॉका जिला अन्तर्गत कॉंवरिया पथ पर संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बाँका के कार्यालय में संपूर्ण मेला अवधि (दिनांक – 11.07.2025 से 09.08.2025 तक) तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

4. विभागीय आदेश ज्ञापांक – 752(15), दिनांक – 26.06.2025 की शेष शर्त्तें/कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

5. उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(कृष्णा उराँव)

सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

FOOD1/Current Letter

ज्ञापांक – ....791(15)....   पटना/दिनांक – ..08/07/2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी अभिहित अधिकारी –सह– सहायक अभिहित अधिकारी –सह– खाद्य संरक्षा अधिकारी, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रतिनियुक्त सहायक अभिहित अधिकारियों –सह– खाद्य संरक्षा अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/07/2025

सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

FOOD1/Current Letter